

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश: जबलपुर

// आदेश //

B/5189

क्रमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 04/11/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 806/गोपनीय/2022 जबलपुर दिनांक 16.08.2022 द्वारा श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान)(Super Time Scale) रूपये 70290-1540-76450/- में दिनांक 13.08.2022 से नियुक्ति किये जाने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2109/2018/21-ब (एक) दिनांक 28.04.2018 एवं क्र. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दिनांक को चयनग्रेड वेतनामन 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में प्राप्त वेतन व दिनांक तथा सुपर समय वेतनमान में आगामी वे0वृ0 का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.
13.08.2022	70290/- 17.02.2022 17.02.2023	71830/- -	13.08.2022 -

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

B/5196

पृष्ठांकन क्रमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 04/11/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर/उज्जैन/सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।



रजिस्ट्रार(एम)